उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल
Institute for Excellence in Higher Education (IEHE), Bhopal
(CPE Status conferred by UGC)

NAAC RE-ACCREDITED A GRADED INSTITUTE

Office: Kaliasot Dam, Kolar Road, P.O. Box. 588, Ravishankar Nagar, Post Office, Bhopal – 462016
Tele: (0755) 2492433, 2492460, Fax: (0755)2492492, Email: iehebhopal@mp.gov.in Website: www.iehe.ac.in

क्र. 90/19-20 भोपाल दिनांक 10/07/2019

आवश्यक सूचना (मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना संबंधित)

संस्थान में सत्र 2019-20 में स्नातक स्तर पर द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में प्रवेशित विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि ऐसे विद्यार्थी जो शासन की मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना अंतर्गत पात्र है, वे http://scholarshipportal.mp.nic.in/MedhaviChhatra/Public/Medhavi_Scholarship_Registration.aspx लिंक के माध्यम से ऑनलाईन पंजीयन का नवीनीकरण कर आवेदन पत्र के प्रिंटआऊट की प्रति, आवश्यक प्रपत्रों सहित अपने संबधित विभाग में दिनांक 30 जुलाई 2019 तक आवश्यकरुप से जमा करें। ऑनलाईन भरे जाने वाले आवेदन पत्र में दर्ज की जाने वाली शुल्क की राशि की जानकारी संबंधित विभाग से प्राप्त करें।

पात्रता

1. द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
2. तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों को प्रथम से लेकर चतुर्थ सेमेस्टर तक लगातार उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
3. मध्यप्रदेश के मूल निवासी हो
4. पिता/पालक की वार्षिक आय रुपये 6 लाख से कम हो

आवश्यक दस्तावेजः

1. द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर की अंकसूची संलग्न करना आवश्यक है।
2. तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों को प्रथम से लेकर चतुर्थ सेमेस्टर तक लगातार उत्तीर्ण की अंकसूची संलग्न करना आवश्यक है।
3. योजना के नवीनीकरण हेतु संस्थान में जमा किये गये शुल्क रुपये 1.00 की रसीद की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है।
4. मध्यप्रदेश के मूल निवासी का प्रमाण-पत्र
5. पालक की आय (रुपये 6.00 लाख से कम) का तहसीलदार द्वारा अभिप्रमाणित प्रमाण पत्र
6. विद्यार्थी के बैंक पासबुक की छायाप्रति (IFSC Code सहित)

टीपः

1. योजना के अंतर्गत स्नातक स्तर हेतु व्यय शुल्क के रूप में, प्रवेश शुल्क एवं वह वास्तविक शुल्क (मेस शुल्क एवं कॉशन मनी को छोड्कर) जो शुल्क राज्य शासन द्वारा निर्धारित किया गया हैं, का ही भुगतान किया जायेगा।
2. मध्यप्रदेश शासन के स्कालरशिप पोर्टल के अनुसार स्कालरशिप संबंधित 05 योजनाओं (मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना, पोस्ट मैट्रिक (ओ.बी.सी.), पोस्ट मैट्रिक (एस.सी.) पोस्ट मैट्रिक (एस.टी.) मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना) में से किसी 01 योजना का ही लाभ पाठ्यक्रम के दौरान प्राप्त हो सकेगा।
3. पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय जिस योजना का लाभ प्राप्त किया है वह पूर्णकालिक पाठ्यक्रम तक अपरिवर्तनीय रहेगी।

(डॉ. एस.एस. श्रीवास्तव)
प्रभारी प्राध्यापक

(डॉ. गीता सक्सेना)
संचालक

प्रतिलिपिः

1. समस्त विभागाध्यक्षों की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
2. आई.टी. प्रभारी की ओर संस्थान की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. संस्थान के समस्त सूचना पटलों पर प्रदर्शित करने हेतु।
4. कार्यालयीन प्रति।

(डॉ. एस.एस. श्रीवास्तव)
प्रभारी प्राध्यापक

10/7/19
(डॉ. गीता सक्सेना)
संचालक

DIRECTOR,
INSTITUTE FOR EXCELLENCE
IN HIGHER EDUCATION
BHOPAL-462016